संख्या-565/2025/आई/1141218/23-1-25/001-23-1002(002)/291/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से मुरादाबाद मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 53 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **मुरादाबाद मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 53 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 48,11,42,000/- (रूपये अड़तालीस करोड़ ग्यारह लाख बयालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 16,83,91,000/- (रूपये सोलह करोड़ तिरासी लाख इक्यानबे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	**मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक**	**जनपद खण्ड का नाम**	**यूनिक कोड**	**मार्ग का नाम**	**क्षतिग्रस्त लम्बाई**	**कार्य की लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. अमरोहा	67461	एन0एच0.24 भोलानाथ ढाबा से आई0टी0आई0 कालेज से घनसूरपुर मास्टर संतोष के टयूब वैल से पपसरा अमरोहा अतरासी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	4.000	132.49	46.37

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
2	आई/318441/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख. अमरोहा	60376	एन0एच0.24 से सूदनपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	1.770	61.39	21.48
3	आई/318441/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. अमरोहा	60206	नहटौर-नूरपुर-अमरोहा-जोया मार्ग (राज्य मार्-77) कावड़ मार्ग पर वासुदेव तीर्थ तिराहे से किशनगढ़ (अमरोहा) के आबादी भाग में इंटरलाकिंग टाईल्स लगाने एवं नाला निर्माण का कार्य।	1.100	262.11	91.73
4	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. अमरोहा	60900	सम्भल आदमपुर से बीझलपुर मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.500	61.30	21.45
5	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. अमरोहा	60131	ढबारसी से भीमा सुल्तानपुर मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	1.550	94.16	32.95
6	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. अमरोहा	67446	ग्राम भीमा सुल्तानपुर से निरयावली हीसखेड़ा मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	1.450	43.52	15.23
7	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. अमरोहा	60132	रहरा गॅवा मार्ग से चकफेरी मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	0.450	44.25	15.48
8	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. अमरोहा	60911	भैसरी से पशुपूरा होकर नगला मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.050	97.87	34.25
9	I/327676/2025 dt 01.11.25	नि.ख. अमरोहा	60234	सम्भल आदमपुर मार्गए अन्य ज़िला मार्ग.10 के कि0मी0 22 में इण्टरलाकिंग टाईल्सए सी0सी0 एवं नाला निर्माण का कार्य	0.30	110.46	38.66
10	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. अमरोहा	60476	चकनवाला से वाह नदी समपर्क मार्ग पर वैन्टेड कॉज-वे का निर्माण कार्य।	0.000	105.42	36.90
11	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. अमरोहा	60260	खावड़ी से रसूलपुर भांवर एहतमाली मार्ग (अन्य जिला मार्ग-35) की विशेष मरम्मत का कार्य।	2.100	65.74	23.01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
12	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. अमरोहा	60750	ग्राम वसी मुस्तकम से सुजमना होते हुए वाजिदपुर बन्धे तक सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	3.400	45.77	16.02
13	I/320919/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. अमरोहा	60205	बदायूँ-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) के गजरौला, कुमराला चौकी एवं कृपानाथपुरआबादी भागों में इंटरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य।	1.500	128.12	44.84
14	I/327676/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. अमरोहा	60218	बिजनौर-चांदपुर-गजरौला मार्ग के कि0मी0 75 से ललिता देवी मन्दिर तक मार्ग (शहरी मार्ग) पर नाली निर्माण एवं पटरियों पर इंटरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य।	1.00	89.04	31.16
15	आई/268089/2025, दिनांक 09.09.2025	नि0खं0 अमरोहा	-	मीरा सराय सिरसा खुमार से फौंदा पट्टी अन्य जिला मार्ग-32 के कि0मी0-5 में इण्टरलॉकिंग सी0सी0 एवं नाला निर्माण का कार्य।	0.790	192.19	67.27
16	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. बिजनौर	30498	जनपद बिजनौर में वित्तीय वर्ष 2025.26 में बमनौली मार्ग से शाहपुर भसौड़ी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	75.83	26.54
17	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. बिजनौर	30471	जनपद बिजनौर में वित्तीय वर्ष 2025.26 में चान्दपुर दतियाना मार्ग के किमी0 10 से बमनौला लिंक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	4.490	114.38	40.03
18	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. बिजनौर	30633	जनपद बिजनौर में वित्तीय वर्ष 2025.26 में अखेड़ा से साहजनपुर कोट मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.900	46.73	16.36

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
19	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. बिजनौर	30002	जनपद बिजनौर में वित्तीय वर्ष 2025.26 में बिजनौर नूरपुर छजलैट मार्ग के किमी0 46 से गोहावर हल्लू मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.540	54.36	19.03
20	I/321033/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-2 बिजनौर	30885	एन0टी0 मार्ग के किमी0-18 से साफियाबाद मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.200	128.41	44.94
21	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. बिजनौर	30267	जनपद बिजनौर में वित्तीय वर्ष 2025.26 में बिजनौर हेमराज कालोनी धर्मनगरी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 8(100) व 9(500) की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.600	76.77	26.87
22	I/321033/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-2 बिजनौर	30913	लालवाला गुरूद्वारा से कन्डूावाला होते हुए एन0एच0-534 तक मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	0.490	42.85	15.00
23	I/321033/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-2 बिजनौर	37853	नजीबाबाद झक्काकी जोगीरम्पुरी नेकपुर मार्ग (अ0जी0मा0) के विभिन्न चैनेजों में विशेष मरम्मत का कार्य।	1.925	184.33	64.52
24	I/327676/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 बिजनौर	37859	स्योहारा खानपुर होते हुए बहसूमा चान्दपुर ठाकुरद्वारा जसपुर मार्ग के किमी0-04 में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 6 गुणा 3 मी0, 1 सैल बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	0.050	63.53	22.24
25	I/321033/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-2 बिजनौर	31020	भनेड़ा से आजमाबाद मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	2.550	96.19	33.60
26	I/327676/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-1 मुरादाबाद	40105	लाकडी फाजलपुर मिनी बाईपास मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर विभिन्न	0.950	110.72	38.75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				आबादियों में नाली निर्माण कार्य।			
27	I/321033/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-1 मुरादाबाद	44024	वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत जरगाॅव से अहमदाबाद कसौरा होते हुए पालनपुर रोड तक सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	3.350	53.25	18.64
28	I/321033/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-1 मुरादाबाद	44033	वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत जरगाॅव-सरथल मार्ग के किमी0-03 से मकनपुर सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	4.825	133.28	46.65
29	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 मुरादाबाद	40916	वीरपुर वरियार में रसीद ठेकेदार के घर से दौलरा रझेडा नदी तक सम्पर्क मार्ग पर बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	Box Culvert	159.70	55.90
30	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 मुरादाबाद	46218	एन0एच0-509 से मोहनपुर पीतपुर वाया जलालपुर खास लिंक मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0-1(700), 2(700) व 11(250) पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.650	53.73	18.81
31	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 मुरादाबाद	46216	के0डी0आर0पी0 मार्ग के किमी0-7 से बिस्कुट फैक्ट्री होते हुए अब्दुल्लापुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0-5(450), किमी0-6(950) तथा 12(200) में विशेष मरम्मत का कार्य।	1.600	103.65	36.28
32	I/327676/2025 dt 01.11.2 5	नि.ख.-1 मुरादाबाद	41001	एन0एच0-24 हरसुख मजरा से इल्लर रसूलाबाद सम्पर्क मार्ग पर वेन्टिड काॅज-वे का निर्माण कार्य।	0.050	86.49	30.27
33	I/327676/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-1 मुरादाबाद	46252	बिस्कुट फैक्ट्री से के0डी0आर0पी0 मार्ग (नगला	0.455	42.08	14.72

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				सालार चैराहा) पर विशेष मरम्मत का कार्य।			
34	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. रामपुर	50053	बड़ाखास मार्ग के कि0मी0 10 से पीपलसाना मार्ग के आबादी भाग मदानगला में सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य	0.550	64.91	22.72
35	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. रामपुर	56241	बिलासपुर रूद्रपुर रोड से मनिहारखेड़ा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	4.800	60.56	21.20
36	I/327676/2025 dt 01.11.25	नि.ख. रामपुर	50188	सिमरिया रहसेना मुबारकपुर मार्ग की छूटी कड़िया मार्ग पर इण्टरलोंकिग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य।	0.425	63.01	22.05
37	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. रामपुर	50608	धनेली पूर्वी भैसोड़ी शरीफ बहेटा मार्ग	0.300	76.95	26.93
38	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. रामपुर	50683	पटवाई मिलक मार्ग से नउवा नगला मार्ग।	1.860	98.09	34.33
39	आई/318441/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख. रामपुर	50767	मिलक से धनेली उत्तरी मार्ग।	2.300	173.14	60.60
40	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. रामपुर	56254	एन0एच0. 87 से सनईया सुख मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.620	86.58	30.30
41	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. रामपुर	56273	लालपुर (टी0-5)से बैंजना मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	2.030	73.81	25.83
42	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. रामपुर	56279	रोशनपुर कुकुर झुण्डी से मेवला कलां सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	0.400	44.17	15.46
43	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. रामपुर	54040	अब्बास नगर से सिकन्दराबाद मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	0.575	69.41	24.29
44	I/327676/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. रामपुर	50560	आर0एस0बी0 मार्ग से धर्मपुर उत्तरी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	1.750	44.94	15.73
45	I/327676/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. रामपुर	50384	रामनगर लतीफपुर से रैका के पुल तक मार्ग की कोज-	0.145	64.05	22.42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				वे की अतिवृष्टि के कारण कटान/क्षतिग्रस्त भाग का विशेष मरम्मत का कार्य।			
46	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. सम्भल	750300	मढन से मुरादाबाद सम्भल मार्ग (ओ0डी0आर0) के किमी0 7.500 से सैदनगली मनौटा चैधरपुर (ओ0डी0आर0) के किमी0 7.50 से सैदनगली मनौटा चैधरपुर (ओ0डी0आर0) होते हुए एन0एच0-9 तक चैनेज 6.771 से 10.295 तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	2.960	50.91	17.82
47	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. सम्भल	750150	लोधीपुर मढन टांडा असमोली मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के आबादी भाग मढन एवं टांडा में नाली एवं सी0सी0 एवं वाक्स कल्वर्ट का कार्य।	0.180	88.58	31.00
48	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. सम्भल	750434	ग्राम मेहुआ से पवसरा मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	1.800	53.51	18.73
49	आई/303156/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. सम्भल	750019	राष्ट्रीय मार्ग-509 से नरौरा जमुना सिंह मार्ग ईशमपुर असदपुर दबथरा होते हुए राज्य मार्ग-18 तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य।	0.170	85.82	30.04
50	I/327676/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. सम्भल	754078	बबराला गवां मार्ग से देवरा भूरा मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	1.610	58.62	20.52
51	I/321033/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. सम्भल	757154	सम्भल तहसील मुख्यालय की शहरी आबादी हेतु बाईपास के किमी0 9 ग्राम जलालपुर मौहम्मदाबाद के चैनेज 8.650 में 2×2 मी0	culvert	44.30	15.51

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				स्पाॅन की वाॅक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।			
52	I/327676/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. सम्भल	750005	चन्दौसी सम्भल मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के किमी0 16 में सी0सी0 एवं नाला निर्माण का कार्य।	0.450	169.11	59.19
53	I/327676/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. सम्भल	750152	एन0एच0-93 के किमी0 191 चन्दौसी से आटा मऊ अस्सू नगलिया बल्लू थरैसा जयसिंह पवांसा सम्पर्क मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 15 में नाला निर्माण एवं सी0सी0 निर्माण का कार्य।	0.400	180.84	63.29
					कुल योग-	**4811.42**	**1683.91**

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्यों प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(9) प्रश्नगत कार्यों निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला **रू0 16,83,91,000/- (रूपये सोलह करोड़ तिरासी लाख इक्यानबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण**"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-565/2025/आई/1141218(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/291/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।